[illegible] पीठासीन अधिकारी
[illegible] पर [illegible] कार्यवाही।
[illegible] वास्ते अग्रिम [illegible] से हो [illegible]
[illegible] को पेश

[illegible] पेश हुई। वकील उभयपक्ष [illegible] पर बहस श्रवण की [illegible] पर प्राप्त तहसीलदार [illegible] अन्य किसी प्रकार [illegible] प्रस्ताव तैयार [illegible] नहीं है। किया [illegible] पत्रावली [illegible] आइंदा दिनांक 5/5/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

5/5/25 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त होने से पत्रावली पर आदेश नहीं सुनाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश आइंदा दिनांक 8/5/25 को पेश हो।

8/5/25 पत्रावली पेश हुई। मुलाहजा उप. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात वि.प्र. व बहस पर मनन किया गया। वाद-पत्र वि.प्र. दिनांक 20.1.23 के अनुसार डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से टंकित होकर शामिल मिसल होकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं
पीठासीन अधिकारी : सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 181/2020 दायर दिनांक– 03.09.2020

1 जानकी देवी पत्नी लालचन्द
2 बनारसी देवी पत्नी भागीरथ
3 महेन्द्र कुमार पुत्र भागीरथ
4 महेश कुमार पुत्र भागीरथ
5 राजपाल पुत्र भागीरथ समस्त जाति माली निवासी तेली कोठी ग्राम मणकसास तह. उदयपुरवाटी
6 सुमित्रा पुत्री भागीरथ पत्नी ओमप्रकाश जाति माली हाल निवासी ग्राम करमाड़ी तन पपूरना तह. खेतड़ी जिला झुंझुनूं।

–वादी

बनाम

1. कमला देवी पत्नी संदीप
2. लक्ष्मी देवी पत्नी जयराम जाति माली निवासीगण ढाणी तेली कोठी ग्राम मणकसास तह. उदयपुरवाटी
3. लैण्डहोल्डर जरिये तहसीलदार तह. उदयपुरवाटी
4. उपपंजियक उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री शिशपाल सैनी, श्री छोटूराम सैनी
वकील प्रति॰ सं 1, 2:– श्री रामचन्द्र सैनी
वकील प्रति. सं. 3, 4:– एकपक्षिय

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

–:: निर्णय ::–

दिनांक :08.04.2025

वाद वादी दिनांक 21.03.2022 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार उदयपुरवाटी को मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। प्रथम बार तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक भू0 अ0/2022/1781 दिनांक 09.05.2022 द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पेश व स्वीकार होने पर पुनः तहसीलदार उदयपुरवाटी से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने हेतु

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्देशित किया गया। तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्रांक भूअ/2023/2651 दिनांक 20.09.2023 द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। पुनः ऐतराज विभाजन प्रस्ताव पेश होने व स्वीकार होने पर तहसीलदार उदयपुरवाटी के पत्रांक भूअ/2025/159 दिनांक 15/01/2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई की राजस्व ग्राम मनकसास के ख.नं 610 रकबा 1.38 हैक्टर के मौके के अनुसार निर्माण को देखते हुए सभी खातेदारों की भूमि सड़क से लगाकर विभाजन किया जाना संभव नहीं है। मुताबित तहसीलदार रिपोर्ट अन्य किसी भी प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना संभव नहीं । अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में वाद को विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2023/2651 दिनांक 20/09/2023 के अनुसार डिक्रि किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

—:आदेश:—

वाद वादी मुताबित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2023/2651 दिनांक 20/09/2023 को अंतिम डिक्रि किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भू.अ./2023/2651 दिनांक 20/09/2023 मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्रि व अंतिम निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अंतिम डिक्रि पर्चा जारी हो।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 8/4/2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुमन सोनल)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

AnyScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं

अंतिम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(आदेश 20 नियम 6 और 7)

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमति सुमन सोनल (आर.ए.एस.)

मुकदमा नं0 –181 / 2020

जीसीएमएस न0 2020 / 00364 दर्ज दिनांक: 03.09.2020

जानकी वगै. निर्णय दिनांक – 8/4/25

बनाम

कमला वगै.

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी व हाजिरी उभयपक्षकारान मिनजानिब मुदई वल्द ...–..मिनजानिब मदयलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि :–

वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव कमांक भू.अ. / 2023 / 2651 दिनांक 20 / 09 / 2023 को अंतिम डिक्री किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव दिनांक 06.02.2025 मय नजरी नक्शा अंतिम निर्णय व अंतिम डिक्री का अभिन्न हिस्सा रहेगा। तहसीलदार उदयपुरवाटी को आदेशित किया जाता है कि उक्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मूल नक्शे में तरमीम की जावे व उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज..–............निल............... मुबलिक –............निल................. दाबन.–.................. ....निल...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह –........... ....निल................ फीसदी आज की तारीख से तारीख अदायगी तक –................ निल.................... का अदा करे। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 08 माह 04 सन 2025 को जारी की गई।

(सुमन सोनल)

उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी